

## न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 11/2025

### अपीलांट -

1. श्री नवाराम पुत्र रणचा उर्फ  
रणछोडराम जाति मेघवाल  
निवासी सिणली जागीर, तहसील  
पचपदरा, जिला बालोतरा।

### बनाम

### रेस्पोंडेंट्स -

- 1 श्री बाबुराम पुत्र रणचा उर्फ रणछोडराम
- 2 श्री रामचन्द्र पुत्र रणचा उर्फ रणछोडराम  
जातियान मेघवाल, निवासीयान सिणली  
जागीर, तहसील पचपदरा, जिला  
बालोतरा।
- 3 श्री कमल किशोर पुत्र मगाराम जाति  
मेघवाल, निवासी जेरला, तहसील  
पचपदरा, जिला बालोतरा।
- 4 श्री मांगीलाल पुत्र प्रतापराम जाति  
मेघवाल, निवासी अमरपुरा जसोल,  
तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
- 5 श्री उप तहसीलदार, दूदवा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज० काश्तकारी अधिनियम, 1955  
विरुद्ध आदेश क्रमांक/भूअ./2024/131 दिनांक 26.07.2024 जो उप  
तहसीलदार दूदवा द्वारा पारित किया।

### उपस्थिति :-

1. श्री प्रेमराज पंवार अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री सांवलराम मेघवाल, अधिवक्ता रेस्पोंडेंटगण संख्या 1 ता 4 की ओर से  
उपस्थित।

### निर्णय

दिनांक : 05.08.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,  
1955 के तहत उप तहसीलदार दूदवा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु  
पारित आदेश क्रमांक/भूअ./2024/131 दिनांक 26.07.2024 के विरुद्ध इस  
न्यायालय में दिनांक 25.04.2025 को पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा सिणली चौसीरा पटवार क्षेत्र  
सिणली जागीर, भू-अभि. निरीक्षक तिलवाड़ा, तहसील पचपदरा के खेत-खसरा  
388/127 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर (नये खसरा नंबर 998/388 क्षेत्रफल  
2.1583 हैक्टेयर, खसरा नंबर 999/388 क्षेत्रफल 2.1584 हैक्टेयर, खसरा नंबर  
997/388 क्षेत्रफल 2.1583 हैक्टेयर) खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण ने  
प्रार्थना-पत्र दिनांक 23.07.2024 को उप तहसीलदार दूदवा के समक्ष प्रस्तुत कर



जिला कलक्टर  
बालोतरा

संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाशकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर उप तहसीलदार दूदवा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./2024/131 दिनांक 26.07.2024 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.04.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण की पैतृक भूमि मौजा सिणली चौसीरा पटवार क्षेत्र सिणली जागीर, भू-अभि. निरीक्षक तिलवाड़ा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा 388/127 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर (नये खसरा नंबर 998/388 क्षेत्रफल 2.1583 हैक्टेयर, खसरा नंबर 999/388 क्षेत्रफल 2.1584 हैक्टेयर, खसरा नंबर 997/388 क्षेत्रफल 2.1583 हैक्टेयर) भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि अवस्थित है। उक्त विवादित भूमि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की संयुक्त खातेदारी की है एवं विरासत में प्राप्त हुई है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 उपरोक्त भूमियों का मौके पर कब्जा काशत, रहवासीय ढाणियां, पशुओ का बाड़ा, चारावाड़ा, रास्ते को देखते हुए इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सहमति से बंटवाड़ा कराने की मंशा जाहिर कर सभी पक्षकारान ने सहमति से विभाजन यह जानते हुए कि मौके पर जिस प्रकार कब्जा है, मौके पर विभाजित होने वाली भूमियों में आवागमन का रास्ता उनके द्वारा चाहे गये स्थान पर रखा जाकर बंटवारा किया जायेगा। इसलिए दोनों पक्षों ने संबंधित पटवारी से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार करवाने हेतु हल्का पटवारी से संपर्क किया और हल्का पटवारी ऐसा कहने पर हल्का पटवारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि मौके पर काबिज अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावेगा किन्तु हल्का पटवारी द्वारा अपीलकर्ता व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के मध्य जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया, वो मौके पर कब्जा काशत, रहवासीय ढाणियां, चारावाड़ा, पशुओ बाड़े इत्यादि व आवागमन हेतु रखी गयी भूमि अनुसार तैयार नहीं कर मौके के विपरीत तैयार कर दिया। हम अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को बिना जानकारी दिये ही उप तहसीलदार दूदवा के कार्यालय में पेश कर दिया, जो हम पक्षकारान की बिना जानकारी व बिना मौके पर आये खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर मौके के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव कौनसी तारीख को व किस स्थान पर तैयार किया गया, उस पर भी विभाजन प्रस्ताव पर कोई तारीख व स्थान इन्द्राज नहीं है। जिससे देखने से भी प्रथम दृष्टया



जिला कलेक्टर  
जालोतरा

प्रति होता है कि विभाजन प्रस्ताव बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही बिना अपीलांट को जानकारी दिये पारित किया गया है। इस कारण सभी सह खातेदारान के मध्य बंटवारा के अनुसार तरमीम होने से एक दूसरे के कब्जे के विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गयी। इस कारण मौके पर विवाद उत्पन्न हो तथा रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 03 व 04 को उक्त भूमि बेचान कर दी गयी तथा अपीलांट के कब्जे कास्त की भूमि से अपीलांट को बेदखल करने की नाजायज धमकीयां दी। यह आवश्यक था कि सह खातेदारान के मध्य संयुक्त भूमि का विभाजन किया जावें तब भूमि पर काबिज पक्षकारान की रहवासीय ढाणियो, पानी के टांको, आवागमन हेतु रखी गयी भूमि जिस जगह तरमीम की जा रही है, उससे किसी पक्षकारान के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो, किन्तु अपीलाधीन आदेश में ऐसी सम्यक तत्परता अधीनस्थ उप तहसीलदार द्वारा नहीं बरतने से सह खातेदारान के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इससे मौके पर विभाजन किया जो कब्जा के विपरीत होने से निरस्त/अपास्त जाने योग्य है क्योंकि ऐसे विभाजन रखने से पक्षकारान के कब्जा, काशत, रहवासीय ढाणियां, आवागमन के बिन्दू प्रभावित हो रहे हैं। उक्त आदेश के जरिये विभाजन नक्शा में गलत दर्ज हुआ तथा ऐसे गलत तथ्यों के आधार पर रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 3 व 4 को भूमि बेचान करने से ऐसे तथ्यों की जानकारी उक्त विभाजन प्रस्ताव को देखने पर हुआ कि मौके पर कब्जा काशत अनुसार तरमीम नहीं होकर मौके के विपरीत है। जिसकी नकल दिनांक 28.03.2025 को प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त करने से सम्यक तत्परता के साथ अपील, अन्दर म्याद पेश है, अतः अपील अंतर्गत धारा 225 रा.का.अ. प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2024 जो उपतहसीलदार दूदवा द्वारा पारित किया गया, को निरस्त कर माफिक बाहमी बंटवारा किया जाने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोंडेंटगण संख्या 01 ता 04 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोंडेंटगण संख्या 1 व 2 की पैतृक भूमि मौजा सिणली चौसीरा पटवार क्षेत्र सिणली जागीर, भू-अभि. निरीक्षक तिलवाड़ा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा 388/127 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि अवस्थित है तथा रेस्पोंडेंटगण संख्या 3 व 4 की खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 998/388 रकबा 2.1583 हैक्टेयर, खसरा संख्या 999/388 रकबा 2.1584 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त विवादित भूमि अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण की संयुक्त खातेदारी की है। अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 तीनों सगे भाई हैं। उक्त आलोच्य सहमती बंटवाड़ा के आवेदन पर समस्त पक्षकारान का हस्ताक्षर करते हुए अपीलांटगण तथा रेस्पोंडेंटगण के आपसी सहमती द्वारा एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के बड़े भाई अपीलांट के कहने पर ही उक्त खसरा का आलोच्य बंटवाड़ा करवाया गया है। समस्त पक्षकारान बंटवाड़ा के अनुसार ही अपने कब्जे काशत पर मौके पर अवस्थित हैं। उक्त खसरा का विधिवत रूप आपसी सहमति से वर्ष 2024 को बंटवाड़ा हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर, संयुक्त शामलाती कृषि भूमि का कब्जे काशत एवं हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अलम दरामद एवं नक्शे में तरमीम किया गया है। उक्त वादग्रस्त शामलाती भूमि का विभाजन करते समय



जिला कलेक्टर  
जालोतरा

समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में स्वतंत्र सहमति प्राप्त कर उक्त आलोच्य विभाजन किया गया है। उक्त आलोच्य विभाजन ओदश के बाद उक्त विभाजन के आधार पर दिनांक 02.08.2024 को तहसीलदार पचपदरा द्वारा नामांतरकरण संख्या 1394 स्वीकृत किया गया। रेसपोडेंट संख्या 1 बाबुराम पुत्र रणचा उर्फ रणछोड़राम जाति मेघवाल द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि श्री कमल किशोर पुत्र मगाराम जाति मेघवाल निवासी जेरला, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा को जरिये रजिस्टरी दिनांक 23.10.2024 को बैचान किया गया है, जिसका पंजीबद्ध उप पंजियक दूदवा में पुस्तक सुख्या 1 जिल्द संख्या 7 में पृष्ठ संख्या 143 क्रम संख्या 202403555100555 पर पंजीबद्ध किया गया तथा रेसपोडेंट संख्या 2 श्री रामचन्द्र पुत्र रणचा उर्फ रणछोड़राम जाति मेघवाल द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि श्री मांगीलाल पुत्र प्रतापराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा को जरिये रजिस्टरी दिनांक 23.10.2024 को बैचान किया गया है, जिसका पंजीबद्ध उप पंजियक दूदवा में पुस्तक सुख्या 1 जिल्द संख्या 7 में पृष्ठ संख्या 144 क्रम संख्या 202403555100556 पर पंजीबद्ध किया गया। रेसपोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि बैचान करने पर हल्का पटवारी द्वारा उप पंजीयक दूदवा में बैचाननामा दिनांक 23.10.2024 के आधार पर कमल किशोर पुत्र मगाराम जाति मेघवाल का रकबा 2.1583 हैक्टेयर हिस्सा इंड्राज करते हुए नामांतरकरण संख्या 1420 दिनांक 07.11.2024 को म्युटेशन भरा गया, जो वर्तमान में जमाबंदी में खाता संख्या 373 एवं खसरा संख्या 998/388 में कमल किशोर पुत्र मगाराम जाति मेघवाल के नाम अंकित है तथा रेसपोडेंट संख्या 2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि बैचान करने पर हल्का पटवारी द्वारा उप पंजीयक दूदवा में बैचाननामा दिनांक 23.10.2024 के आधार पर मांगीलाल पुत्र प्रतापराम जाति मेघवाल का रकबा 2.1584 हैक्टेयर हिस्सा इंड्राज करते हुए नामांतरकरण संख्या 1419 दिनांक 07.11.2024 को म्युटेशन भरा गया, जो वर्तमान में जमाबंदी में खाता संख्या 339 एवं खसरा संख्या 999/388 में मांगीलाल पुत्र प्रतापराम जाति मेघवाल के नाम अंकित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार दूदवा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तथा मौके पर पक्षकारान का कब्जा-काश्त अनुसार अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 26.07.2024 को पारित किया गया है। अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य हैं

6. रेसपोडेंटगण संख्या 01 ता 04 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि रेसपोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपने सहमति से अपने हिस्से में आई भूमि का ही बैचान किया गया गया है, न कि अपीलांट का हिस्सा का बैचान किया गया है। अपीलांट ने रास्ता नहीं होने का कथन किया, इसके प्रत्युत्तर में उक्त खसरे के आस पास किसी प्रकार का रास्ता नहीं है तथा अगर अपीलांट रास्ता चाहता है तो संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता प्राप्त कर सकता है। अपीलांट्स की नियत में खोट आने से सहमति विभाजन अपीलांट की सहमति से होने के बाद यह अपील पेश की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद में कथन किया कि उक्त आलोच्य बंटवाड़ा की जानकरी 28.03.2025 को हुई, लेकिन अपीलांट द्वारा उप तहसीलदार दूदवा के समक्ष विभाजन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत



जिला कलेक्टर  
बालोतरा

किया, जिस पर अपीलांत स्वयं के हस्ताक्षर अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांत को उक्त आलोच्य विभाजन की जानकारी पूर्व में थी। ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व नक्शा में तरमीम की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं है। इस प्रकार अपील म्याद बाहर पेश की गई है तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया है, जबकि अपीलाधीन आदेश उसकी स्वयं की उपस्थिति में पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांत की अपील पूर्णतया म्याद बाहर होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांतगण द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा सिणली चौसीरा पटवार क्षेत्र सिणली जागीर, भू-अभि. निरीक्षक तिलवाड़ा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा 388/127 क्षेत्रफल 6.4750 हैक्टेयर (नये खसरा नंबर 998/388 क्षेत्रफल 2.1583 हैक्टेयर, खसरा नंबर 999/388 क्षेत्रफल 2.1584 हैक्टेयर, खसरा नंबर 997/388 क्षेत्रफल 2.1583 हैक्टेयर) खातेदारान अपीलांतगण व रेस्पोंडेंटगण ने प्रार्थना-पत्र दिनांक 23.07.2024 को उप तहसीलदार दूदवा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बांही तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाशकारी में दर्ज है तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक है। इस पर उप तहसीलदार दूदवा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./2024/131 दिनांक 26.07.2024 पारित किया गया। अपीलांत की मुख्य आपत्ति है कि अपीलाधीन विभाजन आदेश पारित करते समय राजस्थान काशकारी अधिनियम 1955 (राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई तथा अपीलांत को रास्ता नहीं देते हुए आलोच्य विभाजन पूर्व में कब्जा काशत के अनुसार नहीं किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार दूदवा से तलब किया गया मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार दूदवा के समक्ष अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से स्वयं हस्ताक्षर कर विभाजन के लिये राजस्थान काशकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के तहत आपसी सहमती बंटवाड़ा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त खातेदारों के हस्ताक्षर के ताइद व पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो की जांच के उपरांत उक्त आलोच्य बंटवारा आदेश पारित होना पाया गया। पक्षकारान द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर एवं अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली में समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर होना पाया गया। उक्त आलोच्य विभाजन आदेश के बाद हल्का पटवारी द्वारा उक्त आलोच्य विभाजन के आधार पर म्युटेशन खोला गया तथा दिनांक 02.08.2024 को तहसीलदार पचपदरा द्वारा नामांतरकरण स्वीकृत करना बताया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार दूदवा द्वारा राजस्थान काशकारी अधिनियम 1955 (राजस्व मण्डल)



जिला कलेक्टर  
शाली तारा

के नियम 18 से 21 की विधिक पालना करते हुए आलोच्य विभाजन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। इसके अलावा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसमें रेस्पोंडेंट संख्या 1 बाबुराम पुत्र रणचा उर्फ रणछोड़राम जाति मेघवाल द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि श्री कमल किशोर पुत्र मगाराम जाति मेघवाल निवासी जेरला, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 23.10.2024 को बैचान किया गया है, जिसका पंजीबद्ध उप पंजियक दूदवा में पुस्तक सुख्या 1 जिल्द संख्या 7 में पृष्ठ संख्या 143 क्रम संख्या 202403555100555 पर पंजीबद्ध किया गया तथा रेस्पोंडेंट संख्या 2 श्री रामचन्द्र पुत्र रणचा उर्फ रणछोड़राम जाति मेघवाल द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि श्री मांगीलाल पुत्र प्रतापराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 23.10.2024 को बैचान किया गया है, जिसका पंजीबद्ध उप पंजियक दूदवा में पुस्तक सुख्या 1 जिल्द संख्या 7 में पृष्ठ संख्या 144 क्रम संख्या 202403555100556 पर पंजीबद्ध किया गया, होना बताया गया। तत्पश्चात् रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि बैचान करने पर हल्का पटवारी द्वारा उप पंजीयक दूदवा में बैचाननामा दिनांक 23.10.2024 के आधार पर कमल किशोर पुत्र मगाराम जाति मेघवाल का रकबा 2.1583 हैक्टेयर हिस्सा इंद्राज करते हुए नामांतरकरण संख्या 1420 दिनांक 07.11.2024 को म्युटेशन भरा गया, जो वर्तमान में जमाबंदी में खाता संख्या 373 एवं खसरा संख्या 998/388 में कमल किशोर पुत्र मगाराम जाति मेघवाल के नाम अंकित है तथा रेस्पोंडेंट संख्या 2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि बैचान करने पर हल्का पटवारी द्वारा उप पंजीयक दूदवा में बैचाननामा दिनांक 23.10.2024 के आधार पर मांगीलाल पुत्र प्रतापराम जाति मेघवाल का रकबा 2.1584 हैक्टेयर हिस्सा इंद्राज करते हुए नामांतरकरण संख्या 1419 दिनांक 07.11.2024 को म्युटेशन भरा गया, जो वर्तमान में जमाबंदी में खाता संख्या 339 एवं खसरा संख्या 999/388 में मांगीलाल पुत्र प्रतापराम जाति मेघवाल के नाम अंकित है, होना बताया गया। उक्त रजिस्ट्री को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो, इस प्रकार को कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री द्वारा किया गया बैचान एवं इसके उपरांत स्वीकृत म्युटेशन वैध होना प्रतीत होता है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट को आवागमन हेतु रास्ता नहीं दिया गया है, तो इस सम्बन्ध में अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव में हल्का पटवारी एवं आई एल आर की रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि तत्समय पटवारी द्वारा सम्पूर्ण रूप से मौका की जांच कर अपनी रिपोर्ट के पद संख्या 6 में उल्लेख किया है कि "प्रस्तावित बंटवाड़ा भूमि पर सभी सहखातेदड़ारों का आवागमन हेतु रास्ता मौके पर उपलब्ध है", होना बताया गया। इसके अलावा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज/जमाबंदी का अवलोकन किया, जिसमें उक्त खसरे के आप पास किसी भी तरह का रास्ता नहीं दर्शाया गया। अगर अपीलांट आवागमन हेतु रास्ता चाहता है, तो संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 251 ए के तहत आवेदन प्रस्तुत कर रास्ता हेतु अनुतोष प्राप्त कर सकता है, इसके लिए अपीलांट आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। साथ ही अपीलांट ने कथन किया कि उक्त आलोच्य विभाजन की जानकारी पूर्व में नहीं थी तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी



जिला कलेक्टर  
बालोतरा

उल्लेखित दस्तावेजों नकले प्राप्त होने पर दिनांक 28.03.2025 को होना प्रकट किया है। इस संबंध में पत्रावली में सलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार दूदवा के समक्ष धारा 53(2) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलांत स्वयं के एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर अंकित है। अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया है तथा उप तहसीलदार दूदवा द्वारा इस इकरारनामा को पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी स्वतंत्र सहमति से अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया है एवं आलोच्य विभाजन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया, होना बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांत को उक्त आलोच्य विभाजन की जानकारी पूर्व में थी। ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व नक्शा में तरमीम की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं है। इस प्रकार अपील म्याद बाहर पेश की गई है तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया है, जबकि अपीलाधीन आदेश उसकी स्वयं की उपस्थिति में पारित किया गया है। प्रकरण में म्याद एवं मेरिट की परिस्थितियों को देखते हुए मौके की स्थिति का तथ्य सारवान नहीं होने से प्रकरण को म्याद व मेरिट पर निर्णीत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। अतः अपीलांत का यह कहना कि अपीलाधीन विभाजन के वास्तविक तथ्य उनकी जानकारी में नहीं थे, उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा जहां तक अपीलांत का कथन है कि मौके पर विभाजन अनुसार कब्जा-काश्त नहीं है तथा पशुओं का बाड़ा वगैरा एक दूसरे के पक्षकार में आ रहा है, तो इस सम्बन्ध में अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव में हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि तत्समय पटवारी द्वारा सम्पूर्ण रूप से मौका की जांच कर अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "प्रस्तावित बंटवाड़ा भूमि रहन मुक्त है। किसी भी न्यायालय को कोई स्थगन आदेश नहीं है तथा ना ही कोई वाद विचाराधीन है। किसी अन्य खातेदार का नाम हटाया अथवा जोड़ा गया नहीं है। सभी सहखातेदार बडवाड़ा अनुसार सहमति जाहिर की है। सभी सहखातेदारों द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि पर सलग्न राजस्व नक्शा में दर्शाये गये हिस्से को सही होना स्वीकार किया है। प्रस्तावित बटवाड़ा भूमि पर सभी सहखातेदारों का आवागमन हेतु रास्ता मौके पर उपलब्ध है।" होना बताया गया। इसके अलावा विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अंकित कराये गये हैं। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा के समक्ष धारा 53(2) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया है तथा उपतहसीलदार दूदवा द्वारा इस इकरारनामा को पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी स्वतंत्र सहमति से अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया है एवं आलोच्य विभाजन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जबकि एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार दूदवा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलांतगण की ओर से



  
जिला कलेक्टर  
जालोतरा

प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ साथ मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांतगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ-साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार दूदवा द्वारा पारित विभाजन आदेश आदेश क्रमांक/भू.अ./2024/131 दिनांक 26.07.2024 को बहाल रखा जाता है।



9. निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)  
जिला कलेक्टर, बालोतरा  
जिला कलेक्टर  
बालोतरा

